भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. *697 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण में वैश्विक अग्रणी

† 697. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी :
श्रीमती डी. के. अरुणा :
श्री इटेला राजेंदर :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में भारतीय पोतों के स्वामित्व में वृद्धि करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के अलावा तटीय पोत परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पिछले दस वर्षों से पोत परिवहन उद्योग में भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार लाने के लिए मैरीटाइम विजन 2047 पर्यटन और अन्य हालिया विधानों पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो ऐसी पहलों के परिणामस्वरूप इसकी स्थिति/स्थिति में सुधार को दर्शाने वाला तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत पोत निर्माण, पोत मरम्मत और पोत पुनर्चक्रण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी बनने के लिए तैयार है और वर्ष 2030 तक शीर्ष दस देशों में शामिल हो जाएगा तथा 25 वर्षों में 80 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ वर्ष 2047 तक पांच शीर्ष राष्ट्रों में भी शामिल हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए स्वीकृत/खर्च की गई धनराशि सहित आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी, हां। सरकार द्वारा दक्षता और क्षमता संवर्धन पर फोकस करते हुए तटीय नौवहन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय और पहलें की गई हैं। इनमें तटवर्ती और निकासी अवसंरचना का विकास करना, सड़क और रेल के माध्यम से पत्तनों तक और से संपर्कता बढ़ाना, भारतीय ध्वज वाले जलयानों में प्रयुक्त बंकर ईंधन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करना, तटीय मालवाहक जलयानों के जलयान और कार्गो से संबंधित शुल्कों पर 40% की छूट प्रदान करना, तटीय कार्गो की तीव्रता से निकासी के लिए ग्रीन चैनल क्लीयरेंस की शुरुआत करना, तटीय जलयानों के लिए टर्नअराउंड समयावधि में कमी लाने के लिए वरियता बर्थिंग नीति शामिल है।

(ख): भारत को एक विश्वासयोग्य क्षेत्राधिकार बनाने और भारत को शिपिंग में शीर्ष वैश्विक प्लेयर के रुप में स्थापित करने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 को नया रूप दिया गया है। वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2024 और तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 लोकसभा में क्रमशः 10 दिसंबर 2024 और 2 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किए गए हैं। वैश्विक पोत परिवहन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, पुराने प्रावधानों को समकालीन प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं को एमएस विधेयक, 2024 में शामिल किया गया है।

तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 से भारतीय तटीय क्षेत्र की वृद्धि और उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण आया है। इससे तटीय और समुद्री व्यापार हेतु भारतीय जलयानों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस विधेयक में संघ और राज्यों को शामिल करते हुए तटीय योजना बनाने और तटीय पोत परिवहन में वृद्धि के लिए अंतर्देशीय और तटीय पोत परिवहन को एकीकृत करने के प्रावधान शामिल हैं।

(ग) और (घ): एमआईवी 2030 का लक्ष्य भारत की पोत निर्माण और पोत मरम्मत रैंकिंग को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में पहुंचाना है, जबकि अमृत काल विजन 2047 में इस अवधि के दौरान समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए 80 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ शीर्ष 5 तक पहुंचने का और भी अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

*****